86

निग० 1378-II/16

श्री रजनी वकील द्वारा प्रस्तुत 2/5/16 को

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1— कैलाश नारायण तनय ननू ब्राम्हण , नि० — 1378 — II/16

2— सरजुवा तनय ननुवा चमार

3— अमृतलाल तनय राजधर यादव

4— श्री श्री 1008 हनुमान जी, शंकर जी मंदिर अनुतपुरा,

द्वारा अध्यक्ष अमृतलाल यादव , अनंतपुरा, जिला टीकमगढ़

समी निबासी ग्राम अनंतपुरा, तहसील जिला टीकमगढ़ म0प्र0

..................आवेदकगण

वनाम

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़,

.... अनावेदक

स्वमेव निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 मू0 रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदकगण यह स्वमेव निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा आवेदकगण के नाम की भूमि स्थित ग्राम अनुतपुरा , तहसील जिला टीकमगढ़ के खसरा कमांक 106जु0, 571, 117 जु, 103/2 पर कम्प्यूटर अभिलेख में अपना नाम दर्ज करने हेतु निर्देश जारी करने वावद प्रस्तुत कर रहे हैं।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदकगण के नाम से उपरोक्त खसरा नंबरों की भूमियां राजस्व अभिलेख में बर्ष 1970—71 से लगातार दर्ज चलीं आ रहीं थी , जिनके आवेदकगण कों विधिवत रूप से पटटा पदान कर ब्यवस्थापन किया गया था। उपरोक्त नाम आवेदकण के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1378/II/2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **कैलाश नारायण व अन्य वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-5-16	1– मैंनें प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह स्वमेव निगरानी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ को आवेदकगण के नाम पूर्व में दर्ज भूमि स्थित ग्राम अनंतपुरा, तहसील जिला टीकमगढ़ के खसरा कमांक 106 जु0, 571, 117 जु, 103/2 पर कम्प्यूटर अभिलेख में अपना नाम पूर्ववत दर्ज करने हेतु निर्देश जारी करने वावद प्रस्तुत की है। आवेकदगण के अधिवक्ता द्वारा निगरानी के साथ सूची अनुसार जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं उनमें ग्राम अनंतपुरा , तहसील एवं जिला टीकमगढ़ के खसरा कमांक 103 , 106 , 117 , 571 के खसरा पंचसाला संवत 2018 से बर्तमान तक की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत कीं गई हैं। अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में उन्हीं आधारों को दुहराया है, जो अपील मीमो में लेख किये गये हैं । 2– यह कि मैंने निगरानी में प्रस्तुत तर्कों के आधार पर निगरानी के साथ संलग्न खसरा पांचसाला की प्रमाणित प्रतिलिपियों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा जो खसरा नंबर 103 की खसरा पांचसाला बर्ष संवत 2018 से 2007–08 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, उसके अनुसार वादभूमि संवत 2018 में 4.61 पठार मद में दर्ज थी, जो लगातार संवत 2030 तक दर्ज रही। सन 1974–75 के कैफियत कॉलम में, श्री श्री 1008 हनुमान जी मंदिर की प्रविष्टि है। उसके उपरांत बर्ष 1979–80 में श्री श्री 1008 हनुमान जी मंदिर लेख है,जो बर्ष 1985–86 में भी दर्ज है। बर्ष 1987–88 में खसरा नंबर 103/1 रकवा 0.809 हैक्टेयर अवध तनय कन्हैया लाल ब्रामहण के नाम पर दर्ज हो गया है, तथा खसरा नंबर 103/2 के बर्ष 1989–90 के कॉलम में श्री श्री 1008 हनुमान जी मंदिर अध्यक्ष अमृतलाल यादव दर्ज है जो 2007–08 तक दर्ज है, उसके उपरांत बर्तमान खसरा में शासकीय दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि श्री श्री 1008 हनुमान जी मंदिर व शंकर जी मंदिर अध्यक्ष अमृतलाल यादव रहा है, जो बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के शासकीय दर्ज किया गया है। 3– यह कि मैंने निगरानी के साथ संलगन खसरा नंबर 106 संवत 2018 से 2007–08 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया, उसके अनुसार वादभूमि संवत 2018 में 0.23 एकड़ बंजर मद में दर्ज थी , जो लगातार संवत 2020 तक दर्ज रहा , 2020 के कैफियत कॉलम में ननू ब्रा0 लेख है, इसी प्रकार 1970–71 तथा 1974–75 के कॉलम में भी ननू ब्रा0 लेख हैं। सन 1979–80 के कॉलम में वेड़ा 0.093 कैलाश नारायण तनय ननू ब्रा0 लेख है। 1985–86 के खसरा में पंजी क0 162 प्र0 क0	

971 दिनांक 05/07/1985 के द्वारा दर्ज होना लेख है, तदुपरांत बर्ष 1999–2000 मे उपरोक्त भूमि कैलाश नारायण के नाम पर ब्यवस्थापन के आधार पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज हो गई, जो लगातार 2007–08 तक दर्ज रही। उसके बाद बर्तमान खसरा में शासकीय दर्ज है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के वाद भूमि शासकीय दर्ज की गई है। जिस पर आवेदक का नाम पूर्ववत दर्ज होना चाहिये।

4– यह कि मैंने खसरा नंबर 117 जु0 का अवलोकन किया, जिसके अनुसार खसरा नंबर 117 रकवा 1.74 बर्ष संवत 2018 में बंजर दर्ज है, जिसके कैफियत कॉलम में दलुआ , मुलिया , पचुवा , तीनों अनाधिकार काबिज , राजधर अहीर 0.50 दर्ज है। इसी प्रकार की प्रबिष्टि 2021 के कॉलम में है , 1970–71 के कॉलम में राजधर अहीर के नाम की पृबिष्टि है, जो लगातार 1974–75 , 1979–80, 85–86 से लगातार दर्ज है। जिस पर अमृतलाल तनय राजधर का मकान बनाकर अनाधिकार काबिज है। बर्ष 1999–2000 के कॉलम में अमृतलाल को भूमि स्वामी अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं, जो लगातार 2007–08 तक दर्ज हैं, उसके उपरांत बर्तमान खसरा में वाद भूमि शासकीय दर्ज है।

5– यह कि मैंने निगरानी के साथ प्रस्तुत खसरा पांचसाला प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा नंबर 571 का अवलोकन किया। जिसके अनुसार वादभूमि 2018 के कैफियत कॉलम में ननूवा चमार के नाम पर दर्ज है, 2021, 1970–71 , 1974–75, में ननूवा चमार का नाम दर्ज है। 1979–के कॉलम में सरजुवा तनय ननुवा चमार , 1986–87 के कॉलम में सरजुवा तनय ननुवा चमार दर्ज है, जो लगातार 1999–2000 तक दर्ज है , बर्ष 1999–2000 में उपरोक्त भूमि पर सरजुआ को ब्यवस्थापन के आधार पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो गये, जो लगातार 2007–08 तक आवेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज रहा, तदुपरांत बर्तमान खसरा में वाद भूमि शासकीय दर्ज है, जो बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के शासकीय दर्ज की गई है।

अतः उपरोक्त बिवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, तहसीलदार टीकमगढ़ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम अनंतपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 103/2 रकवा 1.057 हैक्टेयर पर श्री श्री 1008 हनुमान जी व शंकर जी मंदिर (अध्यक्ष अमृतलाल यादव) का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जाबे। खसरा नंबर 106जु0 रकवा 0.030 हैक्टेयर पर कैलाश नारायण का नाम भूमिस्वामी दर्ज किया जाबे , खसरा नंबर 117 जु0 रकवा 0.202 पर अमृतलाल तनय राजधर यादव का नाम भूमि स्वामी दर्ज किया जावे। खसरा नंबर 571 रकवा 0.263 हैक्टेयर पर सरजुवा तनय ननुवा चमार का नाम दर्ज किया जाबे। तदनुसार निगरानी निराकृत की जाती है, प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दा0 द0 हो।

सदस्य